

## लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स रविशंकर कुमार, प्रो०-श्री रविशंकर कुमार, पिता-श्री जगदीश प्रसाद सिंह, पता-वार्ड नं०-05, थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय द्वारा किउल नदी ब्लॉक-01 बालू घाट, मौजा-हरनी, गढी, विष्णुपुर, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 15.07.2024 को अपराह्न 02:00 बजे प्रखंड सभागार खैरा, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/ 2314/2023, दिनांक 31.05.2024 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत नियारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "दैनिक जागरण" एवं "दैनिक भास्कर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 14.06.2024 को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक-01 बालू घाट, मौजा-हरनी, गढी, विष्णुपुर, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री रविशंकर कुमार को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या- 01 में प्रतिवर्ष 309000 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹286.0 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 01 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

ह


✓

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री संजीव सिंह, विशनपुर एवं श्री सुमन कुमार सिंह, विशनपुर, जमुई के द्वारा गाड़ियों के चलने से धूलकण उड़ने से परेशानी के समाधान का अनुरोध किया गया।	परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात बालू लदे गाड़ियों को तारपोलीन शीट से ढक कर परिवहन कराया जायेगा। संपर्क पथ पर नियमित रूप से जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा संपर्क पथ के दोनों तरफ वृक्षारोपण कराया जायेगा।
2.	श्री अजय कुमार, हरनी, जमुई के द्वारा रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात रोजगार के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
3.	श्री अभिषेक कुमार, मौर, जमुई के द्वारा गाड़ियों के चलने से सड़क के क्षतिग्रस्त होने तथा ट्रफिक जाम का प्रश्न उठाया गया।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों के मरम्मत हेतु 1.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। ट्रफिक के प्रबंधन हेतु स्थानीय प्रशासन को अनुरोध किया जायेगा।
4.	श्री बबन सिंह, हरनी, जमुई के द्वारा पुछा गया कि वृक्षारोपण में लगाये जाने वाले वृक्षों की देखभाल कौन करेगा।	प्रस्तावित परियोजना में 10 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से 250 वृक्ष लगाये जाने हैं। इन वृक्षों के देखभाल के लिये स्थानीय स्तर पर माली की नियुक्ति की जायेगी। वृक्षों की पर्याप्त घेराबंदी एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सघन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

  
15-7-2024  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि0रा10प्र0नि0पर्षद,  
भागलपुर।

  
अपर समाहर्ता  
जमुई।

## उपस्थिति सूची

मेसर्स रविशंकर कुमार, पिता-श्री जगदीश प्रसाद सिंह, पता-घाई नं०-05, थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय द्वारा किउल नदी स्थित ब्लॉक संख्या-01 बालू घाट, मौजा-हरनी, गढी, विष्णुपुर, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.07.2024 को अपराहन 02:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार खैरा, जिला-जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Rajoo Kular Rajoo	Ndaon-Cem-Appro Jamu	15/7/24
2.	Shambhu Nath Jg	Regional officer Bhagalpur Bihar State Pollution Control Board	Shambhu 15-7-2024
3.	Birendra Kumar MDO, Jamui	M. D. O. Jamui	15/7/24
4.	MITHUN KUMAR	Mines Inspector Jamui	15/7/24
5.	ASHISH PRAKASH	Mines Inspector Jamui	15/7/24
6.	Amish Kumar	ASO, BSPCB, Bhagalpur	15/7/24
7.	Nitish Kumar	PAM Solution, Noida (Env. Consultant)	Nitish Kumar
8.	रविशंकर-कुमार संकेत 5	91500-5 Ghoolar OK/ham	रविशंकर-कुमार
9.	अमित शर्मा		अमित शर्मा
10.	शैलजा रिह		S.K Singh

11.	Suman K. Singh	Ward No- 5.	Suman Singh
12.	Ramesh Chay Singh	Bhour	Ramesh Chay Singh
13.	Ajay Kumar	Baribag	Ajay Kumar
14.	मनोरम	मिहलपुर	मनोरम
15.	उमेश मिश्र	यकल	उमेश मिश्र
16.	Ravi Kumar	Kurbantur.	रवि
17.	शिव प्रसाद	एरुत	शिव प्रसाद
18.	वदन सिंह	विठ्ठलपुर	वदन सिंह
19.	Deepak Kumar	विठ्ठलपुर	Deepak Kumar
20.	शिव प्रसाद	एरुत	शिव प्रसाद
21.	शिव प्रसाद	यकल	शिव प्रसाद
22.	Paramteek Singh	Bhour	Paramteek Singh
23.	शिव प्रसाद	एरुत	शिव प्रसाद
24.	Sanjeet Singh	एरुत	शिव प्रसाद
25.	Prasad Kumar	एरुत	Prasad Kumar

26.	मुकेश कुमार	गढ़ी	Muram Ch
27.	Er. Ashish	Khenig	<del>ER</del> 15/7/2024
28.	अमित कुमार		15.7.24-
29.	Ashish K. Singh	Bhawan	
30.	Anam Kumar Singh	Bhawan	Anam Kumar Singh
31.	Ashish Kumar	Yamuna	Ashish Kumar
32.	अमित कुमार	अमित	अमित कुमार
33.	अमित कुमार		अमित कुमार
34.	अमित कुमार	अमित कुमार	अमित कुमार
35.	अमित कुमार	अमित कुमार	Ashish Kumar
36.	Nitesh Kumar	अमित कुमार	Nitesh Kumar
37.	SANJOY	Kumar	SANJOY
38.	अमित कुमार		अमित कुमार
39.	अमित कुमार		अमित कुमार
40.	अमित कुमार		अमित कुमार

41.	PANKAJ KUMAR	Kaatti	PANKAJ KUMAR
42.	Banshi Yadav	Kaatti	Banshi Yadav
43.	Aniket Singh	Chokhandih	A.K. Singh
44.	Aniket Kumar	Chokhandih	Aniket Kc
45.	मिचल झा	दर	मिचल झा
46.	राज कुंज	मोड़	R.12 Singh
47.	राज कुंज	(मोड़ -	R.15 Singh
48.	Ankit Kumar	मोड़ -	Ansing
49.	Bhikhiyuu	दर	Bhikhi
50.	चंदन कुमार	मोड़ -	चंदन कुमार
51.	Anand Kumar	Bhounar	Anand
52.	रजनीश कुमार	मोड़	रजनीश कुमार
53.	मोरी झा	इमकोल	मोरी झा
54.	MD Shamin	BSPCB. Patna	Geri
55.			